यालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH: 01420 228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

करण संख्या :–06/2023

करण निर्णय दिनांक:–28.08.2023

नवान 1. गुड्डी कंवर पत्नि विजयसिंह
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह
3. दिलीप सिंह पुत्र विजय सिंह
4. कुलदीप सिंह पुत्र विजय सिंह

समस्त जाति राजपूत
निवासी उनबडा गांव
तहसील बॉदीकुई
जिला दौसा (राज.)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बॉदीकुई जिला दौसा (राज)

दावा उद्घोषणा

मुकदमा नं.–06/2023 सन्–2023

निर्णय दिनांक 28.08.2023

वादिया द्वारा वाद पत्र दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया कि वाके गांव उनबडा गांव तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा का खाता सं. नया 48 पुराना 58 के आराजी खसरा नं. 628, 629, 629/2203, 631, 633, 634, 635, 637 कुल किता–08 कुल रकबा 0.7700 हैक्ट. स्थित है। जो कि वादीगण की कब्जे–काश्त की भूमि है। भूमि वादग्रस्त के साबिक खसरा नं. 281, 283, 284 रहे हैं। साबिक ख. नं. 281 के नये नंबर 628, 629 तथा साबिका ख. नं. 283 के नये नंबर 629/2203, 631 एवं साबिका ख. नं. 284 के नये नंबर 633, 634, 635, 637 बने हैं। भूमि वादग्रस्त वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि रही है। जिस पर वादीगण का बजमाने कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण भूमि वादग्रस्त पर करीबन 80 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। संवत 2012 की जमाबन्दी में वादीगण के पूर्वज शिम्भूसिंह के नाम आराजी साबिका ख. नं. 284 दर्ज है तथा साबिका ख. नं. 281, 283 भी वादीगण के पूर्वज शिम्भूसिंह का ही कब्जा काश्त रहा है। संवत 2013 की खसरा गिरदावरी में वादीगण के पूर्वज शिम्भू सिंह का नाम बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। वादीगण के पूर्वज अपने खेतों को बटाई पर भी बताते थे उस समय सुगा कोली नाम का व्यक्ति वादीगण के पूर्वजों की अनुमति से खेतों की सार संभाल करता था। इस कारण खसरा गिरदावरी में वादीगण के पूर्वज शिम्भू सिंह के साथ–साथ कई बार सुगा कोली का नाम भी दर्ज है। भूमि वादग्रस्त वादीगण के पूर्वज शिम्भू सिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही है और वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण वादीगण भूमि वादग्रस्त की खातेदारी अपने नाम करवाने की उद्घोषणा करवाने के हकदार हैं। सैटलमैन्ट के समय राजस्व अधिकारियों ने वादीगण के पूर्वजों की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि साबिका खसरा नं. 281, 283, 284 को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि वादग्रस्त को तनाजा खुद काश्त के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। सैटलमैन्ट विभाग द्वारा की गई कार्यवाही प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध है। वादीगण अपने बुजुर्गान के समय से ही अर्सा करीबन 80 वर्षो से अधिक समय से भूमि वादग्रस्त पर बिना किसी बाधा, अवरोध के कब्जा

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

काश्त रहकर मुफिद चले आ रहे हैं। भूमि वादग्रस्त से किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। वादीगण भूमि वादग्रस्त पर लंबे समय से चले आ रहे निर्विवाद कब्जे काश्त के आधार पर भी अपने हक में उद्घोषणा करवाने के हकदार हैं। भूमि वादग्रस्त के साबिका ख. नं. 281, 283 की खसरा गिरदावरी संवत 2013 में वादीगण के पूर्वज शिम्भू सिंह का ही नाम दर्ज है। भागीरथ सिंह नाम के व्यक्ति का भूमि वादग्रस्त पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा भागीरथ सिंह नाम का कोई व्यक्ति वादीगण के गांव में भी नहीं रहता था। परन्तु राजस्व अधिकारियों ने गलती से संवत 2012 की जमाबंदी में साबिका ख. नं. 281, 283 में भागीरथ सिंह का नाम गलत दर्ज कर दिया जिसको हटाया जाकर वादीगण के नाम भूमि वादग्रस्त की खातेदारी किया जाना न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि वादीगण के हक में इस आशय की उद्घोषणा जारी की जावे कि भूमि वादग्रस्त हाल ख. नं. 628, 629, 629/2203, 631, 633, 634, 635, 637 वाके गांव उनबडा गांव तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण के संबंध में पटवारी हल्का उनबडा गॉव से मौका जॉच रिपोर्ट दिनांकः 06.04.2023 एवं दिनांकः 07.06.2023 प्राप्त हुई। तनकीयात कायम की जाकर वाद को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्यवादी शपथ पत्र जितेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह, घनश्याम सैन पुत्र श्रीनारायण सैन, सीताराम सैन पुत्र श्रीनारायण सैन, मुकेश कुमार बुन्देल पुत्र बाबूलाल, रामस्वरूप पुत्र बाल्या मीना, पप्पू पुत्र लहरी के पेश कियें गये। दस्तावेजात प्रदर्श डाले गये।

प्रकरण में वादीगण वकील बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादपत्र व संलग्न दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संवत 2052–71 ग्राम उनबडा गॉव, राजस्व जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम उनबडा गॉव खाता सं. नया 48 पुराना 58, खतौनी बंदोबस्त संवत 2008, खसरा गिरदावरी संवत 2009–2012 एवं संवत 2012–2020, राजस्व जमाबंदी संवत 2012 एवं पटवारी हल्का उनबडा गॉव मौका जॉच रिपोर्ट दिनांकः 06.04.2023 एवं दिनांकः 07.06.2023 का अवलोकन किया। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संवत 2052–71 ग्राम उनबडा गॉव साबिक ख. नं. 281 के नये नंबर 628, 629 तथा साबिका ख. नं. 283 के नये नंबर 629/2203, 631 एवं साबिका ख. नं. 284 के नये नंबर 633, 634, 635, 637 बने हैं। खतौनी बंदोबस्त संवत 2008 में साबिक खसरा नं. 281, 283 व 284 तनाजा खुद काश्त दर्ज रिकार्ड है। राजस्व जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम उनबडा गॉव खाता सं. नया 48 पुराना 58 के वादग्रस्त भूमि तनाजा खुद काश्त दर्ज रिकार्ड है। राजस्व जमाबंदी संवत 2012 में साबिक खसरा नंबर 284 वादीगण के पूर्वज शिम्भू सिंह एवं साबिक खसरा नं. 281 व 283 भागीरथ सिंह के के नाम दर्ज होना अंकित है। साबिका ख. नं. 281, 283 की खसरा गिरदावरी संवत 2009–2012 में वादीगण के पूर्वज शिम्भू सिंह का नाम दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी संवत 2012–2020 में तनाजा खुद काश्त सुगा कोली दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में प्राप्त पटवारी हल्का उनबडा गॉव मौका जॉच रिपोर्ट दिनांकः 06.04.2023 एवं दिनांकः 07.06.2023 के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम उनबडागॉव संवत 2073–76 भूमि खाता सं. 48 खसरा नं. 628, 629, 629/2203, 631, 633, 634, 635, 637 कुल किता–08 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर तनाजा खुद काश्त हिस्सा पूर्ण एनए खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मजमे आम में उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि मौके पर उक्त भूमि पर गुड्डी कॅवर पत्नि विजयसिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह, दिलीप सिंह पुत्र विजय सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र विजय सिंह जो कि वर्तमान में काबिज हैं एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में उक्त भूमि पर इन्ही व्यक्तियों का संयुक्त रूप से कब्जा है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त खसरा नम्बरान पूर्व में भी शिम्भूसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति राजपूत के कब्जे काश्त में रहे है एवं उनके जीवनकाल में शिम्भूसिंह काश्त करते चले आ रहे थे।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

पटवारी हल्का उनबडा गॉव मौका जॉच रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों एवं उपरोक्त दस्तावेजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज शिम्भूसिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही है तथा वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है, परन्तु सैटलमैन्ट के समय वादीगण के पूर्वजों की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि को राजस्व रिकार्ड में तनाजा खुद काश्त के रूप में दर्ज कर दिया गया जो विधि संगत नहीं है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वकील बहस पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजात व पटवारी हल्का उनबडा गॉव मौका जॉच रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा उद्घोषणा स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि हाल ख. नं. 628, 629, 629/2203, 631, 633, 634, 635, 637 कुल किता–08 कुल रकबा 0.7700 हैक्ट. वाके गांव उनबडा गांव तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिकी जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई